बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद, पटना।

राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना (पुराने भवन)

तृतीय तल, पूर्वी भाग शेखपुरा, पटना 800014 (बिहार)

ईमेल आई.डी. : bsaahcpatna@gmail.com

आपो- 28
दिनांक- 27/10/2026

सार्वजनिक सूचना

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग (NCAHP) द्वारा दिनांक 13.03.2024 को जारी सार्वजनिक सूचना के अनुपालन में बिहार राज्य के समस्त संस्थानों, संगठनों, सेवा प्रदाताओं, पेशेवरों, अस्पतालों एवं क्लीनिकों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021) अधिनियमित किया गया है तथा दिनांक 08.01.2024 से राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग (NCAHP) का गठन किया गया है।

आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यवसायों की सूची उक्त अधिनियम में उपलब्ध करायी गई है, जिसके संदर्भ हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट (https://ncahp.abdm.gov.in/) पर अवलोकन किया जा सकता है।

सूचित किया जाता है कि मानकों, नियमों एवं विनियमों से संबंधित सभी निर्णय राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग (NCAHP) द्वारा ही लिए जाएंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग (NCAHP) की सहमति अथवा अनुमोदन के बिना किसी अन्य समिति द्वारा "पंजीकरण मानदंड" (Registration Norms), "व्यावसायिक अभ्यास मानदंड" (Practice Norms), "संस्थागत मानक एवं दिशानिर्देश" (Institution Standards and Guidelines), "व्यावसायिक स्थिति" (Professional Status), "नैदानिक प्रतिष्ठान मापदंड" (Clinical Establishment Norms) तथा "व्यावसायिक नैतिकता" (Professional Ethics) के संबंध में जारी अथवा प्रसारित कोई भी अधिसूचना या निर्णय, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों पर बाध्यकारी नहीं होगा।

इसमें फिजियोथेरेपी (Physiotherapy), ऑक्यूपेशनल थेरेपी (Occupational Therapy), ऑप्टोमेट्री (Optometry), फिजिशियन एसोसिएट्स (Physician Associates) तथा पोषण वैज्ञानिक (Nutrition Scientists) आदि जैसे स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय भी सम्मिलित हैं।

अतः बिहार राज्य के समस्त संबंधित संस्थानों, संगठनों, सेवा प्रदाताओं, पेशेवरों, अस्पतालों एवं क्लीनिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग (NCAHP) नई दिल्ली के उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

27/10/26

सचिव
बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य
देखभाल परिषद पटना, बिहार